न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – मुक्तानन्द अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

--- --- ---

प्रार्थना–पत्र संख्या 68 सन् 2018 निर्णय दिनांक 17.05.2018

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयर एरिया, जयपुर – 302020

– प्रार्थी

बनाम

1. संजय कुमार मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा, जाति मीणा, पता–74/ए, वार्ड संख्या–24, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला (राज.)331403, द्वितीय पता– प्लॉट नंबर 21, खसरा संख्या 624/344, बीकमसरा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू, वर्तमान पता– बालाजी हरिराम जी का मन्दिर, वार्ड नंबर 01, रामनगर बास, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।
2. संतोष देवी पत्नी श्री संजय कुमार मीणा, पता–74/ए, वार्ड संख्या–24, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला (राज.)331403, वर्तमान पता–बालाजी हरिराम जी का मन्दिर, वार्ड नंबर 01, रामनगर बास, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।
3. अतुलसिंह बागरूह पुत्र किशनसिंह, पता–बालाजी हरिराम जी का मन्दिर, वार्ड नंबर 01, रामनगर बास, सरदारशहर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 12.08.2016 को 10,00,000/– रूपये (अखरे दस लाख रूपये) ऋण की सुविधा दी थी तथा अप्रार्थीगण ने श्री संजय कुमार मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा की सम्पत्ति जो भूखण्ड संख्या–21, खसरा संख्या–624/344, ग्राम–बीकमसरा, तहसील – सरदारशहर, जिला – चूरू में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है (1500 वर्गफीट), का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा–पासा इस प्रकार है – पूर्व में – भूखण्ड संख्या–11, पश्चिम में – मुख्य संड़क 30 फीट, उत्तर में – भूखण्ड संख्या–22 व दक्षिण में – मुख्य सड़क 30 फीट।

जिला कलेक्टर

ऋणी अप्रार्थीगण द्वार उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 07.02.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 09.02.2018 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 20.04.2018 को प्रस्तुत किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्त्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securition and Re-construction of Financial assets and enforcement of Security interest Act 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस थाना, सरदारशहर से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरदारशहर को पालनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर, चूरू